<u>अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)</u>

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ०प्र० राज्य	**<u>विशेष सत्र प्रकरण क्र०-282/2025</u>**
<u>बनाम</u>	**<u>अपराध क्रमांक-68/2025</u>**
बाऊ उर्फ निजामुद्दीन	**<u>धारा-74, 351(3), 352 बी०एन०एस० व धारा-3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब(i), 3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट एवं धारा-7/8 पाक्सो एक्ट</u>**
	<u>पुलिस थाना-गौरा चौराहा</u>
	<u>जिला-बलरामपुर (उ०प्र०)</u>

<u>प्रारम्भिक आदेश</u>

(आज दिनांक-16.07.2026 को पारित)

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा उपस्थित
अभियुक्त की ओर से श्री ओम प्रकाश मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित

पुकारा गया। **अभियुक्त बाऊ उर्फ निजामुद्दीन व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित।** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सिद्ध करने की प्रस्थापना किया।

आरोप विरचना के सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर **<u>अभियुक्त बाऊ उर्फ निजामुद्दीन के विरूद्ध धारा-74, 351(3), 352 बी०एन०एस० व धारा-3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब(i), 3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट एवं धारा-7/8 पाक्सो एक्ट</u>** के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होता है। अतः उसे तद्नुसार आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आरोप पृथक प्रपत्र पर तद्नुसार विरचित किया जाये।

पत्रावली **दिनांक 24.08.2026** को साक्ष्य हेतु पेश हो।

अभियोजन साक्षीगण उक्त नियत तिथि के लिए आहूत किये जायें।

अभियुक्त भी उक्त नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक-16.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ०प्र० राज्य	**विशेष सत्र प्रकरण क्र०-282/2025**
बनाम	**अपराध क्रमांक-68/2025**
बाऊ उर्फ निजामुद्दीन	**धारा-74, 351(3), 352 बी०एन०एस० व धारा-3(1)द, 3(1)ध, 3(1)ब(i), 3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट एवं धारा-7/8 पाक्सो एक्ट**
	पुलिस थाना-गौरा चौराहा
	जिला-बलरामपुर (उ०प्र०)

आरोप-विवरण

मैं, राहुल सिंह-II विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जनपद बलरामपुर उ०प्र० आप अभियुक्त **बाऊ उर्फ निजामुद्दीन** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ कि:-

1. यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक-16.06.2025 को अपराह्न 07.30 बजे घटनास्थल पुलिस थाना गौरा चौराहा जिला बलरामपुर से 07 किलो मीटर दूर उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित बहद ग्राम हरहटा में फरियादिनी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जोकि घटना के समय 16 वर्ष की एक बालिका थी, उसकी सुलभ लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर कपड़े उतारने लगा तथा गलत काम करने हेतु उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया और इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि **धारा-74 भारतीय न्याय संहिता** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त तिथि, समय एवं स्थान पर फरियादिनी की पुत्री/पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा-351(3) भारतीय न्याय संहिता** के अधीन दंडनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिनी की पुत्री/पीड़िता को भद्दी-भद्दी गालियां देकर अपमानित करते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित किये कि वे ऐसे प्रकोपन से लोक शांति भंग करें या कोई अन्य अपराध कारित करे, इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जोकि **धारा-352 भारतीय न्याय संहिता** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि आप अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए भी उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिनी की पुत्री/पीड़िता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है, को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान (मुर्गी फार्म के पास) पर उसे अपमानित या अभित्रस्त किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया जोकि **धारा-3(1)(द) एस०सी०/एस०टी० एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि आप अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए भी उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिनी की पुत्री/पीड़िता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है, उसे जाति-सूचक शब्द 'चमार-कोरी' की गाली देकर अपमानित किया, इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जोकि **धारा-3(1)(ध) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6. यह कि आप अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए भी उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिनी की पुत्री/पीड़िता का हाथ पकड़कर उसका स्पर्श उसकी सहमति के बिना यह जानते हुए किया कि पीड़िता एक अनुसूचित जाति की सदस्या है एवं पीड़िता को स्पर्श करने का कार्य लैंगिक प्रकृति का है, इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जोकि **धारा-3(1)(ब)(i) एस०सी०/एस०टी० एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7. यह कि आप अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादिनी की पुत्री/पीड़िता जो कि अनुसूचित जाति संवर्ग की सदस्या है, उसे अनुसूची में उल्लिखित अपराध धारा-74 बी०एन०एस० (पूर्ववर्ती धारा-354 भा०दं०सं०) में वर्णित अपराध यह जानते हुए दिया और उक्त अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट दण्ड तथा जुर्माने से दण्डनीय है, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा-3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8. यह कि आप अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिनी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय 16 वर्ष थी, का हाथ पकड़कर एवं उसके कपड़े उतारकर उस पर लैंगिक हमला का अपराध कारित किया, जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक सम्पर्क अन्तर्ग्रस्त था, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया, जो कि **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-7/8** के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप का परीक्षण उक्त आरोप के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक-16.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट
बलरामपुर (उ०प्र०)

विरचित किया गया आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण किए जाने की मांग की।

दिनांक-16.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट
बलरामपुर (उ०प्र०)

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.07.16 16:42:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court